एल्टे

महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337452
फैक्स नं0: 0522–2337453
सीयूजी : 9454400167
Email:sec1pachq.lu@up.gov.in

पीएसी मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

पत्रांकः पीएसी–1–152(2)–2024/3330
दिनांकः दिसम्बर 03 ,2024

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उ0प्र0 के पत्र संख्याः दस–395/2022(अधियाचन) दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याःपीआरपीबी–तीन–5(01)/2024 दिनांक 16.08.2024 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2024 की रिक्ति के सापेक्ष कुल 500 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह नवम्बर 2024 की 27 रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी0आर0 को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क0 सं0	वरिष्ठता कमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	412	040440561	राम सजीवन यादव	पारस नाथ यादव	मीरजापुर	2024
2	413	040470056	दीपक कुमार	घनश्याम सजवाल	खीरी	2024
3	414	040440558	अशोक कुमार	श्री बलदेव यादव	36वीं वाराणसी	2024
4	415	040470098	कृष्ण कुमार	श्री रूप लाल	बदायूँ	2024
5	417	040580441	बनारसी यादव	श्री नन्द लाल यादव	सुरक्षा विभाग	2024
6	418	040580467	राघवेन्द्र	नितुराज	27वीं सीतापुर	2024
7	419	050440027	महन्त कुमार	राम उग्रह	खीरी	2024
8	420	050440014	प्रमोद सिंह	श्री अर्जुन सिंह	20वीं आजमगढ़	2024
9	422	050550731	संजीव कुमार शर्मा	श्री बैजनाथ शर्मा	26वीं गोरखपुर	2024
10	423	050530058	संजीव कुमार मिश्रा	जगदीश मिश्रा	बहराइच	2024
11	424	050620021	ओम पाल सिंह	रामप्रसाद	औरैया	2024
12	425	050480353	अर्जुन सिंह	चन्द्रका प्रसाद	आगरा	2024
13	426	050480308	अनिल कुमार	रामपाल सिंह	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
14	427	050580066	प्रमोद कुमार शुक्ला	स्व0 अम्बिका प्रसाद शुक्ला	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
15	428	050580079	अरविन्द कुमार तिवारी	श्री नारायण तिवारी	वाराणसी कमिश्नरेट	2024

16	429	050680333	महेन्द्र सिंह	रामस्वरूप	38वीं अलीगढ	2024
17	430	050480337	प्रमेन्द्र सिंह	श्री योगेन्द्रपाल सिंह	अलीगढ	2024
18	431	050580082	रोशन प्रसाद	मेल्हू राम	32वी लखनऊ	2024
19	432	050620047	अजय कुमार तिवारी	कृपाशंकर तिवारी	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
20	433	050770234	राम सिंह	भोला	32वी लखनऊ	2024
21	434	050580095	राम अचल	श्री हरिश्चन्द	चन्दौली	2024
22	435	050770335	शिवकुमार	श्री चौब सिंह	15वीं आगरा	2024
23	436	050740011	शेरपाल सिंह	श्री नाथूराम	अलीगढ	2024
24	437	050770120	कमलेश कुमार	श्री बाबूलाल अहिरवार	कानपुर नगर कमिश्नरेट	2024
25	438	050480034	सत्यपाल सिंह	प्रताप सिंह	38वीं अलीगढ	2024
26	440	050480441	विजेन्द्र पाल	श्री राधेश्याम	कानपुर देहात	2024
27	441	050680287	राधा कृष्ण कमल	मैकूलाल	लखनऊ कमिश्नरेट	2024

2— उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेगें। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3— पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा ।

4— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89—का—1—1997 दिनांक:28.05.1997 के खण्ड—2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:—

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप—पत्र जारी किया जा चुका है ।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

5— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा ।

6— यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नकः घोषणा–पत्र

3/12

(आशुतोष कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1— पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज ।
2— समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश ।
4— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ ।
5— पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0 उ0प्र0 लखनऊ ।
6— पुलिस अधीक्षक, (प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
7— सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ ।
8— पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ ।
9— पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ ।
10— पुलिस अधीक्षक, डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी मुरादाबाद ।
11— पुलिस अधीक्षक, पी0टी0सी0 सीतापुर ।
12— पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
13— पुलिस अधीक्षक, पी0टी0एस0 गोरखपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश ।
2— अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश ।
3— समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश ।
4— समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 लखनऊ ।
5— समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश ।
6— समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश ।

प्रारूप– "क"

स्वघोषणा–पत्र

मैं..(नाम/पदनाम व पीएनओ) ....
.... पुत्र..निवासी ....
थाना...................... जनपद............... ....वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)......
.... नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र .... का आरक्षी हूँ।

मै प्रमाणित करता हूँ कि:–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा ।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली'1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण ....

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई .... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को आरोप–पत्र दिया गया है ।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0................................धारा.......................थाना............................ जनपद...... .... में लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी .... द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में .... स्तर पर चल रहा है ।

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:– स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाये ।